प्रेस नोट जनपद रामपुर दिनांक 26.08.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर महोदय श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही–

01–थाना सिविल लाईन :– सम्भागीय कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने में 08 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

दिनांक 25–08–2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पर वादी श्री अजय तिवारी सम्भागीय कार्यालय थाना सिविल लाइन, रामपुर द्वारा थाना सिविल लाइन, रामपुर पर सूचना दी थी कि राजा सैनी आदि 09 नामजद तथा कुछ अज्ञात व्यक्ति सम्भागीय कार्यालय के बाहर अवैध रूप से कुर्सी मेज डालकर कार्यालय में आने–जाने वाले व्यक्तियों से धोखाधडी करके काम के बहाने पैसा लेते है। आम जनता को परेशान करते है और कार्यालय तैनात कर्मचारियों को परेशान करते है। गाली गलौच करते हैं। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते है। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0–246/20 धारा 147,353,186,504,420,506 भादवि बनाम राजासैनी आदि 09 नामजद व अन्य अज्ञात साथी पंजीकृत हुआ था। दिनांक 26–08–2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित 08 अभियुक्तगण को सम्भागीय कार्यालय के सामने से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

01–राजाराम सैनी पत्र मुन्नीलाल निवासी अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर।
02–बुद्धसैन पुत्र रामकुवर निवासी ज्वाला नगर थाना सिविल लाइन, रामपुर।
03–रामपाल पुत्र दिलसुख निवासी बजावाला थाना अजीम नगर,, रामपुर।
04–राजपाल पुत्र राधेश्याम निवासी पंजाब नगर थाना सिविल लाइन, रामपुर।
05–अब्दुल गनी पुत्र इकराम हुसैन निवासी शहजादनगर थाना शहजाद नगर, रामपुर।
06–फरमान पुत्र खलील निवासी जुठिया थाना शहजादनगर, रामपुर।
07–इब्ने अली पुत्र कल्बे अली नि0नई बस्ती अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर।
08–इफ्तेकार पुत्र अफसर अली निवासी अजीतपुर थाना सिविल लाइन रामपुर।

01–थाना सिविल लाईन :– सम्भागीय कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने में 08 अभियुक्तगण गिरफ्तार

<u>02–थाना मिलकः–टैंकर को तेजी व लापरवारी से चलाकर वादी के साले की हत्या करने में एक अभियुक्त गिरफ्तार</u>–

दिनांक 20–08–2020 को टैंकर नम्बर यूपी 15 बी.टी. 0514 के अज्ञात चालक द्वारा टैंकर को तेजी व लापरवारी से चलाकर वादी श्री जावेद अली पुत्र श्री मौहम्मद अली निवासी गुलाबनगर थाना प्रेमनगर जनपद–बरेली के साले शुएबुद्दीन पुत्र सलीम तथा उसके साथी तैमूर पुत्र सरताज की मोटर साईकिल में पीछे से टक्कर मार दी थी जिससे उसके साले शुएबुददीन की मृत्यु हो गयी थी तथा तैमूर गम्भीर रूप से घायल हो गया था। इस सम्बधं में थाना मिलक, रामपुर पर मु0अ0सं0–305/20 धारा 279,338,304ए,427 भादवि बनाम अज्ञात टैंकर चालक पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 26–08–2020 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त परवेन्द्र पुत्र रणवीर सिंह निवासी ढिकौली थाना चादीनगर जनपद–बागपत को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

03–थाना बिलासपुर :–320 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

दिनांक 25–08–2020 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तगण को अलग–अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल–320 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –
01–विशाल पीटर पुत्र पीटर मसीह निवासी ईशानगर थाना बिलासपुर, रामपुर।
02–ज्ञानप्रकाश पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम देवीपुरा थाना बिलासपुर, रामपुर
03–मित्रपाल पुत्र विपतराम निवासी ग्राम फाजलपुर थाना बिलासपुर, रामपुर
04–राजेश पुत्र जद्दूनाथ सिंह निवासी पदमा कालौनी डिबडिबा थाना बिलासपुर, रामपुर
05–हरीश पाल पुत्र केदार पाण्डेय नि0 भागरतौला जागेश्वर, भतरौज खान, अल्मोडा (उत्तराखण्ड)
06–सुरजीत पुत्र मौहर सिंह निवासी भवानी खुलवे, थाना रामनगर, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

बरामदगी–
01–विशाल पीटर उपरोक्त के कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराब खाम।
02–ज्ञानप्रकाश उपरोक्त के कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराब खाम।
03–मित्रपाल उपरोक्त के कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराब खाम।
04–राजेश उपरोक्त के कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराब खाम।
05–हरीश पाल उपरोक्त के कब्जे से 80 लीटर नाजायज शराब खाम।
06–सुरजीत उपरोक्त के कब्जे से 80 लीटर नाजायज शराब खाम।

कार्यवाही
01–मु0अ0सं0–278/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम विशाल पीटर।
02–मु0अ0सं0–279/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम ज्ञान प्रकाश।
03–मु0अ0सं0–280/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम मित्रपाल।
04–मु0अ0सं0–281/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम बनाम राजेश।
05– मु0अ0सं0–282/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम हरीश पाल।
06– मु0अ0सं0–283/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम सुरजीत।

04–थाना शहजादनगर :–40 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 26–08–2020 को थाना शहजादनगर, रामपुर पुलिस द्वारा 40 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ रवि पुत्र कैलाश निवासी ग्राम कमौरा थाना शहजादनगर, रामपुर को रठौण्डा रोड से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बधं में थाना शहजादनगर, रामपुर पर मु0अ0सं0–185/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।